रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042022-235092
CG-DL-E-13042022-235092

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1720] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 2022/चैत्र 22, 1944
No. 1720] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 2022/CHAITRA 22, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 12 अप्रैल, 2022

का.आ. 1807(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा (3) की उपधारा 2 के खंड (v) और उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में, परियोजनाओं के कतिपय प्रवर्गों के लिए पूर्व पर्यावरण अनापत्ति आज्ञापक बनाते हुए, संख्यांक का.आ. 1553(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) प्रकाशित किया है;

और, पूर्व अनुभवों के आधार पर, यह उल्लेखनीय है कि नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं और जल शक्ति परियोजनाओं को पूरा होने की अवधि विभिन्न मुद्दों जैसे भौगोलिक आश्चर्य, वन मंजूरी में देरी, भूमि अर्जन, स्थानीय मुद्दों, पुनर्वास और पुनःव्यवस्थापन आदि के कारण परियोजना पूरी होने में अधिक समय लगता है, जो प्रायः परियोजना प्रस्तावक के नियंत्रण से बाहर होता है और इस संदर्भ में, केन्द्रीय सरकार को ऐसी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की वैधता बढ़ाना आवश्यक हो जाता है;

और, अन्य परियोजनाएं भी, ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों सहित स्थानीय मामलों को संबोधित करने के लिए लगे समय पर विचार करने के लिए, केन्द्रीय सरकार यदि वह आवश्यक समझे ऐसे पर्यावरणीय मंजूरी की वैधता की सीमा को बढ़ा सकती है

और, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के उपबंधों के अनुसार, खान और खनिज (विकास और विनियम) संशोधन अधिनियम 2015, के प्रारंभ की तारीख से ही, सभी खनिज पट्टे पचास वर्षों की अवधि के लिए दिए जा रहे हैं, और तद्नुसार, केन्द्रीय सरकार खनन के पर्यावरण मंजूरी की वैधता को, संरेखित करना

आवश्यक समझती है जो वर्तमान में उपयुक्त पर्यावरणी सुरक्षा और पुनर्विलोकन के अधीन अधिकतम तीस वर्षों की अवधि तक अनुज्ञेय है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (सुरक्षा) नियम, 1986 को नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा की अभिमुक्ति के पश्चात् भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना का और संशोधन संख्याकं का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा करती है, अर्थात् :-

(i) पैरा 9 में,

(क) उपपैरा (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

(i) "पर्यावरणीय मंजूरी की वैधता" से वह अवधि अभिप्रेत है, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी विनियामक प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत है, या आवेदक द्वारा पैरा 8 के उपपैरा (iii) के अधीन स्वीकृत किया गया माना जा सकता है, की सुरुवात परियोजना या गतिविधियों द्वारा उत्पादन प्रचालन ; या अनुसूची के मद 8 से संबंधित निर्माण परियोजनाओं के मामले में सभी निर्माण प्रचालनों को पूरा करना है, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन संदर्भित है :

परंतु खनन परियोजनाओं या गतिविधियों के मामलें में वैधता खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दिए जाएंगे ।

(ii) किसी विद्यमान या नई परियोजना या क्रियाकलाप के लिए दी गई पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी उस अवधि के लिए वैध होगी,जो-

(क) नदी घाटी परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में तेरह वर्ष [अनुसूची का मद 1(ग)]; (ख) परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं या क्रियाकलापों और परमाणु ईंधन के प्रसंस्करण के मामले में पंद्रह वर्ष [अनुसूची का मद 1(ङ)];

(ग) खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट खनन परियोजनाओं और नदी घाटी परियोजनाओं और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के सिवाए अन्य सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों के मामले में दस वर्ष।

(iii) क्षेत्र विकास परियोजनाओं और टाउनशिप [मद 8(ख)] के मामले में, दस वर्ष की वैधता अवधि केवल ऐसी क्रियाकलापों तक सीमित होगी जो विकासकर्ता के रूप में आवेदक का उत्तरदायित्व हो सकता है:

परंतु यह कि इस उप-पैरा और उप-पैरा (ii) में सूचीबद्ध परियोजनाओं और क्रियाकलापों के संबंध में पर्यावरण मंजूरी की वैधता की अवधि को नदी घाटी परियोजनाओं के मामले में, संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा वैध पर्यावरण मंजूरी के संबंध में अधिकतम दो वर्ष की अवधि द्वारा, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं और परमाणु ईंधन के प्रसंस्करण के मामले में पांच वर्ष और अन्य सभी परियोजनाओं के मामले में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यदि आवेदन विद्यमान पर्यावरण मंजूरी की वैधता अवधि के भीतर आवेदक द्वारा विनियामक प्राधिकरण के लिए अधिकथित प्रोफार्मा में किया जाता है:

परंतु यह और कि विनियामक प्राधिकरण ऐसे विस्तार के अनुदान से पहले संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति से भी परामर्श कर सकता है।

(iv) खनन परियोजनाओं के लिए दी गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी, समय-समय पर, अधिकतम तीस वर्ष, जो भी पहले हो, के अधीन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और नवीनीकृत खनन योजना में निर्धारित परियोजना जीवन के लिए मान्य होगी:

परंतु इस उप-पैरा में सम्मिलित परियोजनाओं या क्रियाकलापों के संबंध में पर्यावरण मंजूरी की वैधता की अवधि को अगले बीस वर्षों के लिए, तीस वर्षों से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस शर्त के अधीन कि विद्यमान पर्यावरण मंजूरी में अधिकथित विद्यमान पर्यावरण सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता की जांच,तीस वर्ष की पर्यावरणीय मंजूरी की अधिकतम वैधता अवधि के भीतर परियोजना प्रस्तावक से अधिकथित प्रोफार्मा में ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन

समिति द्वारा हर पांच वर्ष बाद और तत्पश्चात विस्तारित पर्यावरण मंजूरी, जैसा आवश्यक समझा जाए, परियोजना प्रस्तावक से अधिकथित प्रोफार्मा में ऐसे आवेदन की वैधता अवधि के भीतर प्राप्त होने पर पर्यावरण प्रबंधन योजना में ऐसे अतिरिक्त पर्यावरण सुरक्षा उपायों को शामिल करने के लिए हर पांच वर्ष में, खनन पट्टे की वैधता या खनन जीवन की समाप्ति या पचास वर्ष, जो भी पहले हो, तक की जाएगी।";

(ख) "(iii) जहां उप-पैरा (i) और (ii) के अधीन विस्तार के लिए आवेदन फाइल किया गया है" कोष्ठक, अंक और शब्दों के लिए, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(v) जहां उप-पैरा (ii), (iii) और (iv) के अधीन विस्तार के लिए आवेदन अधिकथित प्रोफार्मा में फाइल किया गया है"।

[फा. सं. आईए 3-22/10/2022-आईए.III]

तन्मय कुमार, अपर सचिव,

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (ii), संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 2859(अ), तारीख 16 जुलाई, 2021 के अधीन अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2022

S.O. 1807(E).—WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 for mandating prior environmental clearance for certain category of projects;

And whereas, based on the past experiences, it is noted that Nuclear Power Projects and Hydro Power Projects have high gestation period due to various issues such as geological surprises, delay in Forest Clearance, land acquisition, local issues, rehabilitation and resettlement, etc., which are often beyond the control of project proponent and in this context, the Central Government deems it necessary to extend the validity of Environmental Clearance (EC) for such projects;

And whereas, for other projects also, considering the time taken for addressing local concerns including environmental issues related to the implementation of such projects, the Central Government deems it necessary to extend the validity of such ECs;

And whereas, as per the provisions of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), on and from the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, all mining leases are being granted for a period of fifty years, and accordingly, the Central Government deems it necessary to align the validity of mining ECs which is currently permissible up to a maximum duration of thirty years, subject to review and appropriate environmental safeguards;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules in public interest, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, namely:-

In the said notification,-

(i) in paragraph 9,-

(a) for sub paragraphs (i) and (ii), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:-

(i) The "Validity of Environmental Clearance" is meant the period from which a prior Environmental Clearance is granted by the regulatory authority, or may be presumed by the applicant to have been granted under sub-paragraph (iii) of paragraph 8, to the start of production operations by the project or activity; or completion of all construction

operations in case of construction projects relating to item 8 of the Schedule, to which the application for prior environmental clearance refers:

Provided that in the case of mining projects or activities, the validity shall be counted from the date of execution of the mining lease.

(ii) The prior environmental clearance granted for an existing or new project or activity shall be valid for a period of,-

(a) thirteen years in the case of River Valley projects or activities [item 1(c) of the Schedule];

(b) fifteen years in the case of Nuclear power projects or activities and processing of nuclear fuel [item 1(e) of the Schedule];

(c) ten years in the case of all other projects and activities other than the Mining projects and River Valley Projects and Nuclear power projects referred to in clauses (a) and (b).

(iii) In the case of Area Development projects and Townships [item 8(b)], the validity period of ten years shall be limited only to such activities as may be the responsibility of the applicant as a developer:

Provided that the period of validity of Environmental Clearance with respect to the Projects and Activities listed in this sub- paragraph and sub-paragraphs (ii) may be extended in respect of valid Environmental Clearance, by the regulatory authority concerned by a maximum period of two years in the case of River Valley projects, five years in the case of Nuclear power projects and processing of nuclear fuel and one year in the case of all other projects, if an application is made in the laid down proforma to the regulatory authority by the applicant within the validity period of the existing Environment Clearance:

Provided further that the regulatory authority may also consult the concerned Expert Appraisal Committee before grant of such extension.

(iv) The prior Environmental Clearance granted for mining projects shall be valid for the project life as laid down in the mining plan approved and renewed by competent authority, from time to time, subject to a maximum of thirty years, whichever is earlier:

Provided that the period of validity of Environmental Clearance with respect to projects or activities included in this sub-paragraph may be extended by another twenty years, beyond thirty years, subject to the condition that the adequacy of the existing environmental safeguards laid down in the existing Environmental Clearance shall be examined by concerned Expert Appraisal Committee every five years beyond thirty years, on receipt of such application in the laid down proforma from the Project Proponent within the maximum validity period of Environmental Clearance of thirty years, and subsequently on receipt of such application in the laid down proforma from the Project Proponent within the validity period of the extended Environment Clearance, every five years for incorporating such additional environment safeguards in the Environmental Management Plan , as may be deemed necessary, till the validity of the mining lease or end of life of mine or fifty years, whichever is earlier.";

(b) for the brackets, figures and words "(iii) Where the application for extension under sub-paragraphs (i) and (ii) has been filed", the following shall be substituted, namely:-

"(v) Where the application for extension under sub-paragraphs (ii), (iii) and (iv) has been filed in the laid down proforma".

[F. No. IA3-22/10/2022-IA.III]

TANMAY KUMAR, Add. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was last amended, vide the notification number S.O. 2859(E), dated the 16th July, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.04.13 12:19:12 +05'30'